न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

102 / 2025

श्री दिलकुश नाथ निवारी मोडियाला पोस्ट खरेडा तहसील व जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 06.01.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एव अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

सविनय निवेदन है कि संबंधित प्रकरण में प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी गई जानकारी के तहत नागालैंड नाथ मंदिर मठ भूमि खसरा नंबर, सूचीबद्ध राजस्व अभिलेखो में दर्ज विवरण (नाम, श्रेणी, उपयोग। की जानकारी शामिल है।

2. उक्त भूमि पर निरीक्षण की एवं स्थिति पटवारी प्रभाव रिपोर्ट की पुष्टि।।

3 धारा 91 राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली आदेश की प्रति (तारीख सहित) जारी की गई।

4 बेदाखली आदेश के बाद अब तक प्रशासन द्वारा कार्यवाही पंचनामा, नोटिस, मुनादी, आदि) की प्रति।

5. इस प्रकरण में उच्च न्यायालय जयपुर में अवकाश रिक्तियों का विवरण (प्रकरण, बकाया, दिनांक) और विभाग द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत प्रतिउत्तर (उत्तर शपथ पत्र) की प्रति।

6 संबंधित फाइल नोट–विशेषज्ञ, जिसमें इस प्रकरण पर प्रकाशित कार्रवाई एवं विवेचन का विवरण दर्ज है।

7 अब तक इस भूमि के राजस्व विभाग, पुलिस विभाग या नगर पालिका निवाई को दिए गए संचार दिग्गजों रिपोटों की खबर भेजी गई है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नही होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 2171 दिनांक 12.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1062 दिनांक 17.11.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार निवाई से होने से उनके पत्र कमांक 954 दिनांक 13.10.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 955 दिनांक 13.10.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 2314 दिनांक 27.11.2025, 2393 दिनांक 11.12.2025 व 2473 दिनांक 29.12.

773

जिला कलेक्टर
टोंक

2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई ने पत्र कमांक 18306 दिनांक 22.12.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 18305 दिनांक 22.12.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर टोंक